**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 40**

**जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है**

**कोयला खान बंद होने का रोजगार और आजीविका पर प्रभाव**

**40. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के बंद होने से कोयला खनन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है अथवा करवाया है;

(ख) यदि हां, तो इससे रोजगार में कितनी कमी आई है और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों सहित ऐसे अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) खानों के बंद होने से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए कौन-कौन से वैकल्पिक रोजगार के अवसर अथवा आजीविका सहायता तंत्र विकसित किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या प्रभावित लोगों, विशेष रूप से महिलाओं जैसे कमजोर समूहों, के समक्ष आ रही सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए कोई विशिष्ट सहायता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है?

**उत्तर**

**कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री जी. किशन रेड्डी)**

**(क) और (ख) :** जी, नहीं। कोयला खान बंद होने से कोयला खनन क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

**(ग) और (घ) :** किसी खान के बंद होने के समय उसमें तैनात कर्मचारियों को उनके लाभप्रद उपयोग के लिए आवश्यकता के अनुसार अन्य खानों/क्षेत्रों/सहायक कंपनियों में स्थानांतरित किया जाता है। इसके अलावा, महिलाओं सहित निकटवर्ती आबादी के आर्थिक निर्वहन, जो अप्रत्यक्ष रूप से खनन और संबद्ध कार्यकलापों पर निर्भर है, के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों के तहत भी विभिन्न उद्यमिता विकास गतिविधियां और कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

****